



राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर



(शैक्षिक सर्वे, अनुसंधान, आकलन एवं मूल्यांकन तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग)

Email-director.rscert@rajasthan.gov.in

Phone No- 0294-2415202

क्रमांक/राशैअप्रप-उदय/प्र.2/ NMMS/ फा-1052/2023/985 दिनांक 19.09-2022

NMMS परीक्षा 2023 हेतु आवश्यक जानकारी

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) परीक्षा-2023 हेतु शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्थाप्रधान द्वारा दिनांक 20.09.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

परिचय- नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी हैं। अतः राज्य स्तर पर संचालन और प्रबोधन राशैअप्रप उदयपुर द्वारा किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) इसके जिला नोडल अधिकारी हैं।

उद्देश्य- मई 2008 में शुरू की गई एनएमएस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर कम हो सके। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयन होने के बाद कक्षा 9 से 12 वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को NMMS छात्रवृत्ति की राशि मिलती है।

छात्रवृत्ति राशि - एनएमएस में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12000 रु प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएस छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। राशि सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या आवंटित की गई है।

नवीन संशोधित पात्रता मापदंड -

1. कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी।
2. अभिभावक/माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। NMMS योजना के नवीन संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र 2022-23 से आय सीमा 1.50 रु से बढ़ाकर 3.50 लाख कर दी गई है।
3. कक्षा 9 वीं तथा कक्षा 11 वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत की बाध्यता हटाकर स्पष्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा कक्षा 10 वीं में 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

कौन पात्र नहीं है.

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
3. निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र
4. राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी

पात्रता व छात्रवृत्ति की निरन्तरता व पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक

क्र.स.	कक्षा	न्यूनतम प्राप्तांक %
1	7	55
2	8	55
3	9	स्पष्ट उत्तीर्ण
4	10	60
5	11	स्पष्ट उत्तीर्ण

SC और ST श्रेणियों के आवेदकों को 5% की छूट है। कक्षा 7, 8, व 10, में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा।

NMMS परीक्षा के लिए आवेदन- स्टेट नोडल राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकापी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाए। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति चार वर्षों तक मिलती है। यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाए। मूल आवेदन सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखें। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के आवेदन चार साल तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र एक वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

NMMS आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- कक्षा 7 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत)।
- जाति प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है)
- राजस्थान का मूल निवास
- आधार कार्ड और बैंक डिटेल् में विद्यालय रिकार्ड अनुसार एकरूपता आवश्यक है, तथा कोई स्पेलिंग मिस मैच नहीं होनी चाहिए।

परीक्षा पैटर्न

एनएमएमएस केन्द्रीय सरकार की योजना है। पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में दो भाग होते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT) व शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों (प्रत्येक में 90) को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है, जिनके दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार की गार्डिलाइन में दिए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

एनएमएमएस परीक्षा का पैटर्न निम्नलिखित प्रकार से है।

एनएमएमएस परीक्षा पैटर्न

क्र.स.	विवरण	विवरण
1.	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	• यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। इसके प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं।
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	• SAT में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये कक्षा 7 व 8वीं के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होते हैं।

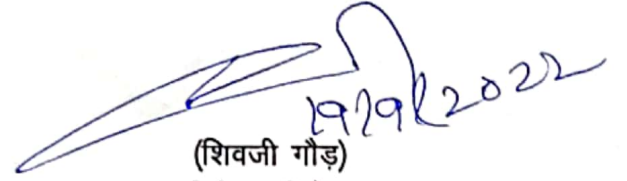
परीक्षा परिणाम— चयन परीक्षा के बाद सभी परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है। NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा (छात्रवृत्ति संख्या) 5471 है। जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। SC व ST श्रेणियों के आवेदकों को इस एनएमएसएस छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 32 प्रतिशत हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है।

सामान्य वर्ग 50रु. और आरक्षित वर्ग (SC/ST/निःशक्तजन)के लिए 30रु.। उक्त शुल्क SBI COLLECT के माध्यम से ऑनलाइन ऐप/नेट बैंकिंग द्वारा जमा करवाना होगा। नकद या अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा में चयन के बाद करणीय कार्य

1. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन— परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर फ्रेश पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा किया जाएगा, तथा इस आवेदन का प्रिन्ट निकालकर दस्तावेजों सहित संस्थाप्रधान को जमा कराना होता है।
2. वेरिफिकेशन — नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर विद्यार्थी की लॉगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद पहले सम्बन्धित संस्थाप्रधान तत् पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए <https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/NMMS/scholarship.aspx> पर विजिट करें।



(शिवजी गौड़)

अतिरिक्त निदेशक

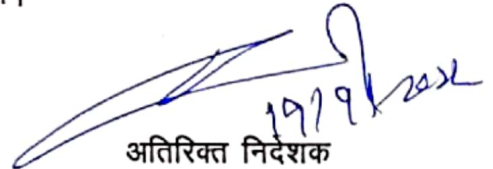
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान

एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

क्रमांक/रा.रा.शै.अ.प्र.प-उदय/प्र.2/ NMMS / फा-1052/2023/
प्रतिलिपि:

दिनांक 19.09-2022

1. अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा
2. शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-6) जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, मा.शि.राज. बीकानेर
4. निजी सहायक, निदेशक, रा.रा.शै.अ.प्र.प. उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक समस्त जिले।



अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान

एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर